उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-95/2015/1714/78-2-2015-13आई.टी./2001

लखनऊः दिनांकः 14 अक्टूबर, 2015

कार्यालय आदेश

जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट में (व्याप्त) अनियमितताओं के संबंध में विशेष सचिव, सतर्कता अधिष्ठान अनुभाग-4 के अर्द्ध शा0प0 संख्या-सीएम-54/39-4-2013-51(25)/2005, दिनांक 06.09.2013 के साथ संलग्न विशेष निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ अर्द्ध शा0प0 संख्या-313-2-3-1-137/2011, दिनांक 26.06.2013 द्वारा सतर्कता अधिष्ठान की खुली जाँच आख्या/संस्तुति में जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्राप्त अनियमितताओं/शिकायतों पर कार्यवाही किये जाने के औचित्य पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

2- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1423/78-2-2015-13आई.टी./2001, दिनांक 11.10.2013, कार्यालय आदेश संख्या-1007/78-2-2015-13आई.टी./2001, दिनांक 11.10.2013 एवं शासन के पत्र संख्या-841/78-2-2015-13आई.टी./2001, दिनांक 02.07.2013 द्वारा सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुति के संबंध में विश्वविद्यालय के विरूद्ध अनियमितताओं/शिकायतों पर कुलसचिव, जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम-2001 के प्रस्तर-49(1) के अन्तर्गत आख्या/सूचना मांगी गयी।

3- प्रकरण में कुलसचिव, जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-JRHU/8824/13, दिनांक 03.10.2013 द्वारा सूचना/आख्या उपलब्ध करायी गयी। तदोपरान्त विश्वविद्यालय से प्राप्त आख्या/सूचना के आधार पर प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त पत्र संख्या-मु.म.79/78-2-2015-13आई.टी./2001, दिनांक 15.10.2014 द्वारा पुनः कुलसचिव, जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट में हुई अनियमितताओं/शिकायतों को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में कुलसचिव से प्राप्त पत्र संख्या-JRHUVCOFF/98/14 दिनांक 05.12.2014, पत्र संख्या-जे0आर0एच0यू0/कुल0कार्या0/9589/2014 दिनांक 11.12.2014, पत्र संख्या-जे0आर0एच0यू0/कुल0कार्या0/9686/2015 दिनांक 04.02.2015 एवं पत्र संख्या-JRHUVCOFF/95/14 दिनांक 18.10.2014 द्वारा विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों/अनियमितताओं को पूर्ण कर लिया गया है।

4- उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के विरूद्ध सतर्कता अधिष्ठान की खुली जाँच आख्या/संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर विश्वविद्यालय द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर किये जाने के दृष्टिगत् प्रकरण में किसी अन्य कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया। अतः जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के विरूद्ध पाई गई शिकायतों के संबंध में संस्थित सतर्कता जाँच को एतदद्वारा समाप्त किया जाता है।

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 95/2015/1714(1)/78-2-2015, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. कुलसचिव, जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ0प्र0-210204
2. सतर्कता अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
3. अपर पुलिस महानिदेशक/विशेष निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान।
4. पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान झाँसी, सेक्टर झाँसी।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव(भ), आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।